

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- **428**

dated: **30-06-21**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **03-21-93 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Rampur Division B & R, HPPWD, Rampur for construction of link road from Mundar, Kungal, Makarog, Khori and Garasu (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Mundar, Kungal, Khori, Khamnana, Dharagla and Garasu, Tehsil Nankhari, District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **03-21-93 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **21-06-2021 at 11:30 AM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Mundar, Kungal, Khori, Khamnana, Dharagla and Garasu claiming rights in village forest area(s) **03-21-93 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil----

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil----

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Mundar, Kungal, Khori, Khamnana, Dharagla and Garasu claiming right in **03-21-93 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

(5)

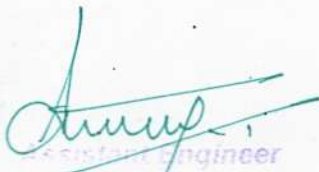
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

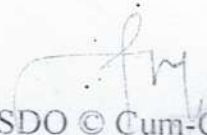
Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 18-02-2021 at 11:30 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HPPWD for diversion of forest land area measuring mouja Mundar 00-46-45, mouja kungal 01-63-67 hect. mouja khori 00-32-92 hect. Mouja khamnana 00-16-72 hect. Mouja Dharagla 00-59-07 hect. Mouja Garasu Total area measuring **03-21-93 hect.** at Mundar, Kungal, Khori, Garasu of land in Forest Division Rampur for construction of road from Mundar, Kungal, Makarog Khori, Garasu Tehsil Nankhari District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Mundar, Kungal, Khori, Khamnana, Dharagala Garasu was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 18-02-2021


Assistant Engineer
Rampur Sub-Division
District Shimla


SDO © Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committee

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 18-02-2021 की कार्यवाही रिपोर्ट

SR (FRA)

आज दिनांक 18-02-2021 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री देवा चन्द नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री आर० एस० नेगी अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग रामपुर।
3. श्री बी० एल० चौहान सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
4. श्री शोभा सिंह सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
5. श्री राजेंद्र लक्ठू कम्पनी कमांडर होमगार्ड सराहना।
6. श्री कुन्दन लाल नेगी वन खण्ड अधिकारी सराहना।
7. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
8. श्री दिवान सिंह लिपिक लोक निर्माण विभाग रामपुर।
9. श्री हेम राज वरिष्ठ सहायक वन विभाग रामपुर।
10. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या :-1 प्रस्तावित मुन्दर कुंगल मकरोग खोड़ी गडासु सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकबा तादादी रक्बा 03-21-93 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा मुन्दर (0-46-45 है०), मौजा कुंगल 1-63-67 है०, मौजा खोड़ी (0-32-92 है०), (मौजा खमनाना 0-16-72 है०), (मौजा धरागला 0-59-07 है०), (मौजा गडासु 0-03-10 है०) दर्ज मालकागजात है। प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 22-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 12-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 24-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 28-09-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-08-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपत्ति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

Assistant Engineer
HPPWD Sub-Division
Nankhali Distt Shimla

मद संख्या :-2

प्रस्तावित बाहली से देवनगर सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 3-67-73 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा बाहली 3-03-47 है० व दवाडा 0-64-26 है०) दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाहली व देवनगर ने सहमति प्रकट करते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-3

प्रस्तावित सरपारा से लबाना-सदाना सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-86-09 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा जुलीकोट रकवा 0-61-73 + मौजा कान्धार रकवा 2-24-36 है०) कुल रकवा 02-86-09 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति जुलीकोट व कान्धार ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29-01-2019 व प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22-09-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-4

प्रस्तावित बाजवा से छावारा बाई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-60-35 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाजवा ने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15-07-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-5

प्रस्तावित घाट पौचा पेई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-46-20 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा घाट रकवा 0-53-53 + मौजा व्युन्थल रकवा 1-92-67 है०) कुल रकवा 02-46-20 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति घाट व व्युन्थल ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 01-10-2020 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-6

प्रस्तावित जलान केंची से बिला डोखरी सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 0-70-03 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा निरथ 0-61-82 है० +मौजा चुन्जा 0-08-21 है० दर्ज माल कागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति निरथ व चुन्जा ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 01-07-2018 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-7

प्रस्तावित गृह रक्षा विभाग 2/5 कंपनी कार्यालय भवन निर्माण सराहन के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 00-02-94 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा सराहन दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति सराहन ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16-09-2020 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।

उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0,

पृष्ठांकन संख्या :- आर0एम0पी0/एस0डी0के0/2020- 1221 दिनांक 25/2/21.

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित ।

उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0

[Signature]
Assistant Engineer
HPPAD Sub-Division
Nashik District Shindole

40 39

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 21-06-2021 at 11:30 AM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 21-06-2021 at 11:30 AM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Sh. Vinay Dhiman | Addl. District Magistrate (P). |
| 2. Sh. Pawan Kumar Chauhan | Divisional Forest Officer, Shimla (Urban). |
| 3. Sh. Arvind Kumar | Divisional Forest Officer, Rampur. |
| 4. Sh. Raj Kumar Sharma | Divisional Forest Officer, Shimla, Kotgarh. |
| 5. Sh. Vishal Shankta | Nominated Member |
| 6. Sh. Ujjwal Sain Mehta | Nominated Member |
| 7. Smt. Prabha Verma | Nominated Member |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (P) apprised that following 26 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

Sr. No	Name of Sub Division	FRA proposal
1.	SDM Shimla (Urban)	Proposed prefabricated Shop for Vendors near M.C. toilet Khalini in ward No. 33, tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
2.	---do---	Construction of Car Parking near Om Service Kanlog in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
3.	---do---	Construction of Escalators at Jakhoo Temple, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
4.	---do---	Construction of ambulance road from Bye Pass to Mangru Cottage Tutikandi, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
5.	---do---	Construction of Car Parking near govt. Primary School, Chakkar in ward No. 9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
6.	---do---	Construction of Car Parking Mahindra Motors Kachighati, Shimla in ward No.9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
7.	---do---	Channelization of Nallah and its landscaping from Indira Gandhi Sports Complex bridge to Lalpani bridge with construction and O & M of STP for waste water treatment, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
8.	---do---	Construction of Car Parking near Kanlog by Pass road in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
9.	---do---	Construction of car parking opposite HPSEB Sub-Station Kalibari ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.

44 40

10.	---do--	Construction of car parking opposite Roop Hardware Lakkar Bazar in ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
11.	---do--	Construction of ambulance and Fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate Lower Jakhu in ward No. 16, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
12.	---do--	Construction of ambulance road from Hanuman Mandir road to Sharma Niwas in ward No. 33 Khalini, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
13.	---do--	Construction of proposed multi storied parking complex between Tennis Court and HRDC building in HPU Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
14.	---do--	Construction of Food Corporation of India, Regional Office Building at Tutikandi Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
15.	SDM Rampur	Construction of road from Ghat Poucha Pai, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	--do----	Construction of road from Jalan Kainchi to Buladokhari, Tehsil Rampur, District Shimla.
17.	---do---	Construction of road from Bajawa to Chhawara Bai, Tehsil Rampur, District Shimla.
18.	---do---	Construction of road from Bahali to Devnagar, Tehsil Rampur, District Shimla.
19.	---do---	Construction of road from Mundar, Kungal, Makarog Khori, Garasu, Tehsil Nankhari, District Shimla.
20.	---do---	Construction of road from Sarpara to Labana-Sadana, Tehsil Rampur, District Shimla.
21.	---do---	Construction of office of Home Guard Company Sarahan, Tehsil Rampur, District Shimla.
22.	---do---	Construction of Jahoo Deem to Charaila road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
23.	---do---	Construction of Dhala Bhamti (Thandwa) to Prawat Kanchi road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
24.	---do---	Construction of Dhala to Mankhidhank road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
25.	---do---	Construction of Gadasu Lohti Nali Punan road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
26.	SDM Kumarsain	Construction of Kupri Serthi Nehri Khad road, Tehsil Kumarsain, District Shimla.

All the cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

[Signature]
Assistant Engineer
HPPWD Sub-Division
Nankhari Dist Shimla

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 1

दिनांक 28-09-2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गड़ासू की बैठक आज दिनांक 28-09-2018 को 11-12 बजे, स्थान गड़ासू में श्री/श्रीमति मान सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रश्न जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें ले. नि. विभाग द्वारा मु. द. र. म. क. प्र. गड़ासू के निर्माण के लिए 0-03-10 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हंतू प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०स० * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का स्थान

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

गड़ासू28-09-2018

सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम गड़ासू, तहसील ननखरी

जिला शिमला हि०प्र०

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

ग्राम गड़ासू, तहसील =

जिला शिमला हि०प्र०

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 81

दिनांक 28-09-18

ग्राम सभा गडासू की बैठक आज दिनांक 25-09-18 को 11-40
वजे, स्थान गडासू में श्री/श्रीमति मान सिंह की अध्यक्षता में
की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गडासू जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें लो.वि. विभाग द्वारा गु.र.म.प्र.ग.ग. के निर्माण के लिए 2003-10 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं। इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान गडासू

दिनांक 25-09-2018

सचिव R.K. Singh
वन अधिकार समिति

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Man Singh
वन अधिकार समिति
ग्राम गडासू, तहसील ननखरी
जिला शिमला हि०प्र०

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शोली
विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 450 / 3567

दिनांक 26-11-18

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: हि. प्र. लोक निर्माण विभाग/संस्था को मुन्डर, मकड़ोरा, दोगरी
गड़ासू के निर्माण हेतु गड़ासू जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-03-10 हैक्टयर वन भूमि को
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शोली की बैठक आज दिनांक 26-11-2018 को 11-00 बजे, स्थान शोली में
की गई, जिसमें हि. प्र. लोक निर्माण विभाग/संस्था को मुन्डर, मकड़ोरा, दोगरी, खोली
गड़ासू के निर्माण हेतु गड़ासू जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-03-10 हैक्टयर वन भूमि को
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-03-10 हैक्टयर वन भूमि को
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शोली की
सहमति दी जाती है।

स्थान शोली
दिनांक 26-11-2018



सचिव
अधीकृत प्रस्तावकर्ता
ग्राम सभा
विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

सचिव R. Kant
वन अधिकार समिति
ग्राम गड़ासू, तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0

अध्यक्ष Man Singh
वन अधिकार समिति
ग्राम गड़ासू, तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0

आज दिनांक

को वन अधिकार समिति

ग्राम गड़ासू की बैठक अध्यक्ष श्री मानसिंह की अध्यक्षता में निम्न लिखित कार्य व वन भूमि स्वीकृति एवं दावा किया गया व प्रस्ताव पारित किया है :-

1. सम्पर्क मार्ग मुन्दर, भक्ड़ाग, दोगरी, खैड़ी, गड़ासू निर्माण मार्ग।

अतः प्रस्ताव संवमान्य है।

क्र.सं	नाम	पिता व पति का नाम	गांव	पद	हस्ताक्षर
●	मानसिंह	स्व. श्री जगत सिंह	गड़ासू	अध्यक्ष	Man Singh
2.	रवि कान्त	स्व. श्री मनोहर लाल	"	सचिव	R Kant
3.	मोती लाल	स्व. श्री बेली राम	"	सदस्य	मोती लाल
4.	यशपाल	स्व. श्री हेम-चन्द	"	"	Yashpal
5.	बिजारा राम	स्व. श्री लुहारु राम	"	"	Bijara
6.	राम दास	स्व. श्री खानू राम	"	"	Ram Das
7.	रूप सिंह	स्व. श्री डाकुरसेन	"	"	Roop Singh
8.	विद्या देवी	जो. तोता राम	"	"	Vidya Devi
9.	तारा देवी	जो. दयान सिंह	"	"	Tara Devi

सचिव *R Kant*
 वन अधिकार समिति
 ग्राम गड़ासू, तहसील ननखरी
 जिला शिमला

अध्यक्ष *Man Singh*
 वन अधिकार समिति
 ग्राम गड़ासू, तहसील ननखरी
 जिला शिमला दिनांक

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ०१.....

दिनांक 15-7-18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा रखमनाना की बैठक आज दिनांक 15-07-18 को 11 बजे स्थान रखमनाना में श्री/श्रीमति रखमनाना की अध्यक्षता में की गई जिसमें रखमनाना गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजख गांव रखमनाना जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें राजख गांव विभाग द्वारा ** के निर्माण के लिए 1672 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

कु0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का आधार

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

कु0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा स्वीकार नहीं हुआ।

स्थान रखमनाना
दिनांक 15-07-18

वन अधिकार समिति
गांव रखमनाना, उप-तह ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष राजख गांव
अधीकृत हस्ताक्षर राजख गांव
गांव रखमनाना, उप-तह ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ०१

दिनांक 24-7-18

ग्राम सभा रवमना की बैठक आज दिनांक 24-7-18 को 11
वजे, स्थान रवमना में श्री/श्रीमति गोविन्द सिंह की अध्यक्षता में
की गई जिसमें रवमना गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजसगाव रवमना जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें लो. 11 विभाग द्वारा गुडर नन्देराज गडाम सप्त के निर्माण के लिए 0-16-72 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं। इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रवमना सचिव अध्यक्ष
दिनांक 24-7-18 गुडर नन्देराज गडाम सप्त राजसगाव रवमना
जिला शिमला (हि.प्र.) जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कुगल-बाली
विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26-7-18

गणपूर्ति 152 / 301

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: हि. प्र. लोक निर्माण विभाग/संस्था का मुन्दर, मन्नेग्रो, डोगरी, रन्दी
गढ़ाघू सड़क के निर्माण हेतु राजस्व गांव हमनामा
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-16-72 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कुगल - बाली की बैठक आज दिनांक 26-7-18 को 11 बजे, स्थान कुगल - बाली में
की गई, जिसमें हि. प्र. लोक निर्माण विभाग/संस्था का मुन्दर, मन्नेग्रो, डोगरी, रन्दी, गढ़ाघू
सड़क के निर्माण हेतु राजस्व गांव हमनामा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-16-72 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-16-72 हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान गांव हमनामा, उप-तह. ननखरी अधीकृत हस्ताक्षर अध्यक्ष
दिनांक जिला शिमला (हि.प्र०) सचिव ननखरी वन अधिकार समिति ननखरी

सचिव ननखरी जिला शिमला (हि.प्र०)
अध्यक्ष ननखरी जिला शिमला (हि.प्र०)
विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि. प्र.)

आज दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम हमनाना

की बैठक अध्यक्ष गोविन्द सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई और बैठक का आयोजन सड़क निर्माण मुन्दर, मकड़ीग, खौड़ी, गढ़ासू के लिए जंगल स्वीकृति हेतु दावा पेश किया गया और प्रस्ताव को पारित किया गया। अतः इस कार्य का प्रस्ताव सर्वमान्य है और सर्वसम्मति से पारित है।

क्र.सं.	नाम	पिता व पतिको नाम	ग्राम	पद	हस्ताक्षर
1.	गोविन्द सिंह	श्री राम नाथ	दौगरी	अध्यक्ष	Govind Singh
2.	ज्वाहर सिंह	श्री रूप दास	"	सचिव	Jawahar Singh
3.	रीना देवी	श्री पदम दास	हमनाना	सदस्य	Reena Devi
4.	पदम दास	श्री मांऊ राम	"	"	Padm Das
5.	प्रेमचन्द	देवी सरण	दौगरी	"	Prem Chand
6.	पद्मी देवी	श्री लाला राम	"	"	Padmee Devi
7.	नीशा देवी	श्री इश्वरी नन्द	हमनाना	"	Nisha Devi
8.	वीर सिंह	श्री श्री राम लाल	दौगरी	"	Vir Singh

सचिव
वन अधिकार समिति
गांव हमनाना, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति,
गांव हमनाना, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 30-9-18

ग्राम सभा धरागला की बैठक आज दिनांक 30-9-18 को 11-00 बजे स्थान धरागला में श्री/श्रीमति ज्योति प्रकाश की अध्यक्षता में की गई जिसमें धरागला गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव धरागला जंगल वन क्षेत्र में (जिसमें को. 91 विभाग द्वारा मुक्त मकड़ीग गडामु पक्ष के निर्माण के लिए 00-51 में हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हनू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति को सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का स्तर

- 1.
- 2.

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान धरागला सचिव 145000 वन अधिकार समिति अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष
दिनांक 30-9-18 ग्राम धरागला, तहसील ननखरी जिला शिमला हि0प्र0 ग्राम सभा वन अधिकार समिति
ग्राम धरागला, तहसील ननखरी जिला शिमला हि0प्र0

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शोली
विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26-11-18

गणपूर्ति 450 / 567

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: हि० प्र० लोक निर्माण विभाग/संस्था को मुन्डर, मन्डोरा, गडासू
लक्ष के निर्माण हेतु राजलु गाँव 24-12-18
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-59-07 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शोली को 26-11-2018 को 16 वज्र, स्थान धरागला शोली
की गई, जिसमें हि० प्र० लोक निर्माण विभाग/संस्था को मुन्डर, मन्डोरा, गडासू
लक्ष के निर्माण हेतु राजलु गाँव 24-12-18 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-59-07 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति न यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-59-60 हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शोली की सहमति दी जाती है।

स्थान शोली सचिव [Signature]
दिनांक 26-11-18 वन अधिकार समिति
ग्राम धरागला, तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0



सचिव [Signature]
ग्राम धरागला, तहसील ननखरी
विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि० प्र०)

अध्यक्ष [Signature]
वन अधिकार समिति
ग्राम धरागला तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0

दिनांक 28-09-2018 की परम्परागत वन निवृत्ती
ग्राम सभा शौली व राजरव गाँव धारागला
के वन अधिकार समिति बैंक श्री ज्योति
प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई और
निम्नलिखित सूची में देव * निम्नलिखित
जंगलों की स्वीकृति देव दावा किया गया
व ग्राम सभा देव पारित देव किया जाना
पारित किया गया बताया है :-

1. सम्पत्ति भाग सुन्दर, मकड़ोग, खोड़ी, दोगरी
गाड़ासू सड़क निर्माण देव।

अतः प्रस्ताव सर्वमान्य है।

क्र.सं.	नाम	पिता व पति का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	ज्योति प्रकाश	श्री. श्री तुलसी राम	प्रधान	<u>Uy same</u>
2.	विपन सूद	श्री मोहन लाल	सचिव	<u>1000</u>
3.	प्रदीप सूद	श्री सत लाल	सदस्य	<u>Pradeep</u>
4.	राजेश कुमार	श्री ज्ञान सिंह	"	<u>R Kumar</u>
5.	संजीव कुमार	श्री जीत राम	"	<u>Sanjiv</u>
6.	बेस्ती देवी	श्री राजेश	"	<u>Beesti Devi</u>
7.	उमा देवी	श्री हरि कृष्ण	"	<u>Uma Devi</u>
8.	संदीप देवी	श्री रूप सिंह	"	<u>Sandeep Devi</u>

सचिव

वन अधिकार समिति
ग्राम धारागला, तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0

सदस्य Uy same

वन अधिकार समिति
ग्राम धारागला तहसील ननखरी
जिला शिमला हि0प्र0

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 15-7-2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कुगल-कुन की बैठक आज दिनांक 15-7-2018
 को 11-0 बजे, स्थान कुगल-कुन में श्री/श्रीमति कुगल-कुन
 की अध्यक्षता में की गई जिसमें कुगल-कुन गांव के अनुसूचित जनजाति
 और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कुगल-कुन
कुन जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें कुगल-कुन विभाग द्वारा कुन के
 निर्माण के लिए 573 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
 हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
 दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
 का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का खीरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
 सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
 करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक.....

सचिव

वन अधिकार समिति,
गांव कुगल, उप-तह. ननखरी

जिला शिमला (हि.प्र.)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति,
गांव कुगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
 आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
 उपयोग की अनुमति दी जानी है

सचिव

वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

54
365

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 24-07-2018

ग्राम सभा कुगल-मुन्दा की बैठक आज दिनांक 24-07-2018 को 11-0 बजे, स्थान कुगल मुन्दा में श्री/श्रीमति हजारी व सुन्दर की अध्यक्षता में की गई जिसमें कुगल मुन्दा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गांव गंत. कुगल मुन्दा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 100 कि विभाग द्वारा कुगल मुन्दा के निर्माण के लिए 57-30 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं। इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान गांव कुगल, उप-तह. ननखरी अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता वन अधिकार समिति,
दिनांक जिमला (हि.प्र.) ग्राम सभा गांव कुगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सचिव [Signature]
वन अधिकार समिति,
गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष [Signature]
वन अधिकार समिति,
गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कुंगल - बाली
विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26-07-2018

गणपूर्ति 152 / 301

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/संस्था को कुंगल - बाली
खास - गंगा नदी के निर्माण हेतु राजपुर - गांव कुंगल
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-57-30 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कुंगल - बाली की बैठक अजि दिनांक 26-7-2018
को 11-07 बजे, स्थान कुंगल - बाली
की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/संस्था को कुंगल - बाली
खास - गंगा नदी के निर्माण हेतु राजपुर - गांव कुंगल जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-57-30 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-57-30 हेक्टेयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान.....
दिनांक.....

सचिव [Signature]
वन अधिकार समिति,
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०)

सचिव [Signature]
ग्राम पंचायत, कुंगल बाली
विकास खण्ड ननखरी
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०)

सचिव [Signature]
वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०)

अध्यक्ष [Signature]
वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०)

आज दिनांक 15/7/2018 को ग्राम कुंगल व ग्राम मुन्दर में वन अधिकार समीति की बैठक प्रधान वन अधिकार समीति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र.सं.	नाम	पिता/प्रतिक नाम	गांव	पद	हस्ताक्षर
1.	सुरेन्द्र सिंह	श. गोविन्द सिंह	मुन्दर	अध्यक्ष	
2.	जगदीश	श. स्व. श्री पारे लाल	"	सचिव	
3.	रुष्ण सिंह	श. स्व. श्री दौलत राम	कुंगल	अध्यक्ष	
4.	पुर्वीग नेगी	श. श्री बान्ना राम	"	सचिव	
5.	प्रेम सिंह	श. मोहन लाल	मुन्दर	सदस्य	
6.	नरैचम दास	श. स्व. श्री भगवान दास	"	"	
8.	रमेश चन्द	श. स्व. श्री मोहन लाल	"	"	नरैचम दास
9.	चन्द्र मोहन	श. स्व. श्री हरपाल सिंह	कुंगल	"	R.C. Thakur
10.	शीला देवी	श. प्रेम सिंह	मुन्दर	"	Shilpa Devi
11.	कमला देवी	श. राजेन्द्र सिंह	कुंगल	"	Kamla Devi
12.	प्रमीला देवी	श. श्री नौल राम	"	"	Prmita Devi
13.	देखा देवी	श. सुरजीत	"	"	Deha Devi
14.	उमराठ सिंह	श. स्व. श्री बेबी राम	"	"	Umarath Singh
15.	रविन्द कर्	श. श्री देव सिंह	"	"	Ravindra

वन अधिकार समीति ग्राम कुंगल-मुन्दर सदस्य निर्माण मुन्दर, भकड़ोग, रवौड़ी गड़ासु का जंगल दावा है वृत्त प्रस्ताव सर्व माध्यम है और पारित किया जाता है।

सचिव
वन अधिकार समिति
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति,
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

सचिव
वन अधिकार समिति,
गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति,
गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 61

दिनांक 14-7-18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा मुन्दर की बैठक आज दिनांक 14-7-18
को 11 बजे, स्थान मुन्दर में श्री/श्रीमति सुरेश सिंह
की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुन्दर गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 21.9.69 गांव
मुन्दर जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें को. 1 विभाग द्वारा मुन्दर गांव के
निर्माण के लिए 0.46 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित बातों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित बातों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मुन्दर सचिव सुरेश सिंह अध्यक्ष सुरेश सिंह
दिनांक 14-7-18 वन अधिकार समिति, गांव मुन्दर, उप-तह. नन्खरी
ग्राम सभा मुन्दर, उप-तह. नन्खरी
जिला शिमला (हि.प्र.) जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या...01.....

दिनांक 20-7-18

ग्राम सभा मुन्दर की बैठक आज दिनांक 20-7-18 को 1) मुन्दर बजे, स्थान मुन्दर में श्री/श्रीमति मुन्दर सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुन्दर गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुन्दर जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें मुन्दर विभाग द्वारा मुन्दर के निर्माण के लिए मुन्दर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासीयों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा
1.
2.

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुन्दर जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ मुन्दर वन अधिकार समिति मुन्दर वन अधिकार समिति, मुन्दर गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी अधीकृत हस्ताक्षरक मुन्दर गांव मुन्दर, उप-तह. ननखरी मुन्दर दिनांक 20-7-18 जिला शिमला (हि.प्र.) ग्राम सभा मुन्दर जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कुमाल-वाली
विकास खण्ड ननरवरी जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26-7-18

गणपूर्ति 152 / 301

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: हि.प. लोक निर्माण विभाग/संस्था का मुद्रांक 0-46-45 के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कुमाल-वाली को 26-7-18 की बैठक आज दिनांक 26-7-18 को हि.प. लोक निर्माण विभाग/संस्था का मुद्रांक 0-46-45 के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-46-45 हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए सहमति दी जाती है।

स्थान कुमाल-वाली सचिव ज.स.न. विकास खण्ड ननरवरी वन अधिकार समिति, शाव मन्दर, उप-तह. ननरवरी जिला शिमला (हि0प्र0)
दिनांक 26-7-18

आज दिनांक के गांव मून्दर वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुरेन्द्र सिंह प्रधान वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सड़क निर्माण खेड़ी मून्दर, खेड़ी, बोगरी, मकड़ोग, गड़ास के लिए जंगल स्वीकृति के लिए दावा किया गया व पारित किया गया कि प्रस्ताव संवमान्य है। कार्य निम्न लिखित है:-

1. सम्पर्क गांव मून्दर, मकड़ोग, खेड़ी, गड़ास।

क्र.सं.	नाम	पिता व पति का नाम	ग्राम	पद	हस्ताक्षर
1.	सुरेन्द्र सिंह	स्व. श्री गोविन्द सिंह	मून्दर	अध्यक्ष	B. Thakur
2.	जगदीश चंद	स्व. श्री प्यारे लाल	"	सचिव	Sharma
3.	प्रेम चन्द	स्व. श्री मोहन लाल	"	सदस्य	Sharma
4.	इन्द्र दास	स्व. श्री लालू राम	खेड़लरी	"	Indu Das
5.	प्रकाश चन्द	स्व. श्री जिता लाल	"	"	Prakash Ch.
6.	रमेश चन्द	स्व. श्री मोहन लाल	मून्दर	"	R.C. Thakur
7.	पुत्र देवी	स्व. श्री अमलदास गुप्ता	"	"	पुत्र देवी
8.	सुरजन सिंह	स्व. श्री मिशौरी लाल	"	"	Surajan
9.	नैन सिंह	स्व. श्री जीवन सिंह	"	"	Na Singh
10.	पलस राम	स्व. श्री भगवान दास	"	"	पलस रा
11.	सन्तोष कुमारी	स्व. श्री प्रेम सिंह	"	"	Santosh
12.	देविन्द्र सिंह	स्व. श्री पूर्ण चन्द	मून्दर	सदस्य	Daminder

सचिव B. Thakur
वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष B. Thakur
वन अधिकार समिति,
गांव मून्दर, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....01.....

दिनांक 12-07-18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....खौड़ी.....की बैठक आज दिनांक 12-7-18
को 11 बजे, स्थान खौड़ी में श्री/श्रीमति बाबू राम
की अध्यक्षता में की गई जिसमें खौड़ी गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजस्थान जंगल
खौड़ी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें लो. नि. विभाग द्वारा बुद्धलामेड़ा गांव लक्ष्मण के
निर्माण के लिए 0-32-12 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का आधार

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

ख0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रारित नहीं हुआ।

स्थान खौड़ी सचिव राजेश कुमार
वन अधिकार समिति, अधीकृत हस्ताक्षरकता अधिकार समिति,
दिनांक 12-07-18 गांव खौड़ी, उप-तह. ननरमणीम सभा गांव खौड़ी, उप-तह.
जिला शिमला (हि.प्र.) जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 22-07-18

ग्राम सभा खोड़ी की बैठक आज दिनांक 22-07-18 को 11 बजे, स्थान खोड़ी में श्री/श्रीमति बाबू राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें राजलाल जात खोड़ी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजलाल जात खोड़ी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें को.पि. विभाग द्वारा हुदू भण्डोज गडामू लख के निर्माण के लिए 023/92 वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हनु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बाबू राम जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
सचिव सुरेश्वरी अध्यक्ष
वन अधिकार समिति, वन अधिकार समिति,
स्थान खोड़ी गांव खोड़ी, उप-तह. ननर अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता बाबू खोड़ी, उप-तह.
दिनांक 22-07-18 ग्राम सभा खोड़ी जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कुंगल-वाली
विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 26-07-18

गणपूर्ति 152 / 301

प्रस्ताव संख्या 12

विषय: डि. ज. लोक निर्माण विभाग/संस्था को बुद्ध, मन्डोग, देगरी, खोड़ी
गांव के निर्माण हेतु रा. जल गांव खोड़ी
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-32-92 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कुंगल-वाली की बैठक आज दिनांक 26-07-2018 को 11 बजे, स्थान कुंगल-वाली में
की गई, जिसमें डि. ज. लोक निर्माण विभाग/संस्था को बुद्ध, मन्डोग, देगरी, खोड़ी
गांव के निर्माण हेतु रा. जल गांव खोड़ी जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-32-92 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-32-92 हैक्टयर वन भूमि को
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा अध्यक्ष रा. जल
सहमति दी जाती है।

स्थान कुंगल-वाली सचिव रा. जल
दिनांक 26-07-18 वन अधिकारी सचिव,
गांव खोड़ी, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०) अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा जिला शिमला (हि०प्र०)

रा. जल
विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक

को ग्राम खोड़ी में वन

पृष्ठ 64

अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष बाबू राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सदस्य निर्माण मुन्दर, मकड़ोग, दोगरी, खोड़ी गड़ासू के लिए जंगल स्वीकृति के लिए दावा पेश किया गया और जिसको समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया।

अतः प्रस्ताव सर्वमान्य है।

क्र.सं.	नाम	पिता व पति का नाम	ग्राम	पद	हस्ताक्षर
1.	बाबू राम	स्व. श्री काहन चन्द	खोड़ी	अध्यक्ष	बाबू राम
2.	रमेश चन्द	स्व. श्री केवल राम	"	सचिव	रमेश चन्द
3.	रमेश सिंह	श्री दीना लाल	"	सदस्य	रमेश सिंह
4.	रीना देवी	श्री प्रेम सिंह	"	"	रीना देवी
5.	चन्द्रकान्ता	श्री कुलदीप	"	"	चन्द्रकान्ता
6.	रमीला देवी	श्री राजेन्द्र	"	"	रमीला देवी
7.	रवनीश कुमार	श्री जगदीश चन्द	"	"	रवनीश कुमार
8.	बहादुर सिंह	श्री स. श्री दौलत राम	"	"	बहादुर सिंह
9.	अनिल नेगी	श्री अमर सिंह	"	"	अनिल नेगी
10.	रीकम सिंह	श्री स्व. श्री हरि राम	"	"	रीकम सिंह

सचिव रमेश चन्द
वन अधिकार समिति,
गांव खोड़ी, उप-तह. ननख
जिला शिमला (हि.प्र.)

अध्यक्ष बाबू राम
वन अधिकार समिति,
गांव खोड़ी, उप-तह. ननख
जिला शिमला (हि.प्र.)

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 10-07-18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कुंगल की बैठक आज दिनांक 10-7-18 को 11 बजे स्थान कुंगल में श्री/श्रीमति कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें कुंगल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजल गांव कुंगल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें लो.पी. विभाग द्वारा मुडर फलडागा गडाम लक के निर्माण के लिए 1-06-31 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का आधार

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कुंगल

सचिव

दिनांक 10-07-18

वन अधिकार समिति,

गांव कुंगल उप-तह. ननरदरी

ग्राम सभा

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

वन अधिकार समिति,
गांव कुंगल, उप-तह. ननरदरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 22-07-18

ग्राम सभा कुंगल की बैठक आज दिनांक 22-7-18 को 11 बजे स्थान कुंगल में श्री/श्रीमति कुण्डा एस. ई. की अध्यक्षता में की गई जिसमें कुंगल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजल गांव कुंगल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें जिला विभाग द्वारा मुंडरफुडो गाम एस. ई. के निर्माण के लिए हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्ति के अभाव में जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
वन अधिकार समिति,
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)
स्थान कुंगल
दिनांक 22-07-18
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति,
गांव कुंगल, उप-तह. ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।